THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-02 | July-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.46

NEP 2020 का शिक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भावी संभावनाएँ

डॉ. मनोज कुमार यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर, उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना, कुशीनगर
Email: manojkumary76@gmail.com

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की शिक्षा-व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लगभग तीन दशक बाद लाई गई इस नीति में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और शोध तक संपूर्ण शैक्षिक संरचना के पुनर्गठन का प्रयास किया गया है। नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, लचीला, बहुविषयक, कौशलपरक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना है। इसके अंतर्गत 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यचर्या व्यवस्था, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मातृभाषा में शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, योग्यता-आधारित मूल्यांकन, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, बहुविषयक उच्च शिक्षा तथा अकादमिक क्रेडिट बैंक जैसे प्रावधान किए गए हैं। नीति लागू होने के बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, निपुण भारत, पीएम श्री विद्यालय, परख, दीक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसी अनेक पहलें आरम्भ हुई हैं। प्रस्तुत लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यालयी और उच्च शिक्षा पर पड़े प्रभाव का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। उपलब्ध सरकारी आँकड़े शिक्षा में नामांकन, महिला भागीदारी, छात्र-शिक्षक अनुपात और संस्थागत विस्तार के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाते हैं। साथ ही क्षेत्रीय असमानता, शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल विभाजन, भाषा-संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयाँ, वित्तीय संसाधनों की कमी और क्रियान्वयन में राज्यों की असमान गति जैसी चुनौतियाँ अभी बनी हुई हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि नीति की वास्तविक सफलता उसके दस्तावेजी प्रावधानों से नहीं, बल्कि कक्षा-कक्ष में शिक्षण की गुणवत्ता, सीखने के परिणामों, समान अवसर तथा विद्यार्थियों के जीवन में आए ठोस परिवर्तन से निर्धारित होगी।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, मातृभाषा, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा।

1. प्रस्तावना

शिक्षा किसी देश की आर्थिक उन्नति, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक निरंतरता और लोकतांत्रिक विकास का प्रमुख आधार होती है। बदलते वैश्विक परिवेश में केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान और परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था विद्यार्थियों को जीवन तथा रोजगार की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर

सकती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और ज्ञान के तीव्र विस्तार ने शिक्षा के उद्देश्यों और पद्धतियों पर पुनर्विचार करना आवश्यक बना दिया है।

भारत में लंबे समय तक शिक्षा-व्यवस्था मुख्यतः वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके वर्ष 1992 के संशोधित स्वरूप के आधार पर संचालित होती रही। इस अवधि में विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी, नामांकन में विस्तार हुआ तथा शिक्षा तक पहुँच में सुधार आया। इसके बावजूद रटने पर आधारित शिक्षण, विषयों के बीच कठोर विभाजन, प्रारम्भिक कक्षाओं में कमजोर अधिगम, व्यावसायिक शिक्षा की सीमित प्रतिष्ठा, शोध की अपर्याप्त संस्कृति और शिक्षा में सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ बनी रहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति दी गई। यह इक्कीसवीं शताब्दी की भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका घोषित लक्ष्य ऐसी शिक्षा-व्यवस्था विकसित करना है जो भारतीय जीवन-मूल्यों से जुड़ी हो और भारत को समानतापूर्ण तथा जीवंत ज्ञान-समाज में परिवर्तित करने में योगदान दे। नीति रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, नैतिकता, संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए लगभग छह वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान अनेक पाठ्यचर्या, प्रशासनिक, तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन किए गए हैं। तथापि किसी नीति का प्रभाव केवल योजनाओं की संख्या या पोर्टलों के निर्माण से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह देखना आवश्यक है कि क्या विद्यार्थियों की समझ बढ़ी है, क्या शिक्षक अधिक समर्थ हुए हैं, क्या शिक्षा में असमानता कम हुई है और क्या उच्च शिक्षा युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक लचीली बनी है। प्रस्तुत लेख इसी दृष्टि से नीति के प्रभावों का विश्लेषण करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख शैक्षिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. विद्यालयी शिक्षा की संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षण-पद्धति और मूल्यांकन में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. उच्च शिक्षा में लचीलेपन, बहुविषयकता, क्रेडिट हस्तांतरण और शोध से संबंधित सुधारों का अध्ययन करना।
4. शिक्षा में पहुँच, समानता, भाषा, तकनीक और कौशल विकास पर नीति के प्रभाव को समझना।
5. नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान करना।
6. नीति के उद्देश्यों को कक्षा और संस्थागत स्तर पर सार्थक बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण के स्थान पर द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के प्रमुख स्रोतों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधिकारिक दस्तावेज, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, यू-डाइस प्लस, शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के दस्तावेज सम्मिलित हैं।

सरकारी आँकड़ों का प्रयोग उनके संबंधित शैक्षणिक वर्ष के संदर्भ में किया गया है। नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखा गया है कि शिक्षा में हुए सभी परिवर्तनों का कारण अकेले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं माना जा सकता। नामांकन, आधारभूत संरचना और सीखने के परिणामों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों की पूर्ववर्ती योजनाओं, आर्थिक परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी का भी प्रभाव पड़ा है।

4. नई शैक्षिक संरचना का प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यालयी शिक्षा की पारंपरिक 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था प्रस्तावित की। इसमें तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तथा कक्षा एक और दो को मिलाकर पाँच वर्षीय आधारभूत चरण बनाया गया है। इसके बाद कक्षा तीन से पाँच तक प्रारम्भिक चरण,

कक्षा छह से आठ तक मध्य चरण और कक्षा नौ से बारह तक माध्यमिक चरण निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था बच्चों की आयु तथा मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विकास के आधार पर तैयार की गई है।

इस परिवर्तन का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष तीन से छह वर्ष आयु वर्ग को औपचारिक शैक्षिक योजना में शामिल करना है। पुरानी व्यवस्था में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को विद्यालयी संरचना का अनिवार्य भाग नहीं माना जाता था। नई व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे के भाषा-बोध, सामाजिक व्यवहार, शारीरिक समन्वय और भावनात्मक विकास की नींव तैयार हो जाती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधारभूत चरण में खेल, कहानी, गतिविधि, संवाद, स्थानीय परिवेश और अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया है। इससे छोटे बच्चों पर पाठ्यपुस्तकों, लिखित गृहकार्य और औपचारिक परीक्षाओं का अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है। किंतु इसका प्रभाव आँगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं, सुरक्षित भवनों, खेल-सामग्री और विद्यालयों के साथ समन्वय पर निर्भर करता है।

नई संरचना वैज्ञानिक और बाल-केंद्रित दिखाई देती है, लेकिन देश के सभी विद्यालयों में इसे समान रूप से लागू करना कठिन है। निजी और शहरी विद्यालय अपेक्षाकृत शीघ्र नई व्यवस्था अपना सकते हैं, जबकि अनेक ग्रामीण आँगनबाड़ी केंद्र अभी आधारभूत सुविधाओं और पर्याप्त मानव संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसलिए संरचनात्मक परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब पूर्व-प्राथमिक स्तर को पर्याप्त वित्तीय और शैक्षिक सहायता मिले।

5. बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कक्षा तीन तक प्रत्येक बच्चे में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने को शिक्षा-व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2021 में निपुण भारत मिशन प्रारम्भ किया गया। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे प्रारम्भिक कक्षाओं में अर्थ सहित पढ़ सकें, सरल वाक्य लिख सकें और दैनिक जीवन से संबंधित बुनियादी गणनाएँ कर सकें।

यह प्राथमिकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ने और गणना की क्षमता कमजोर रह जाने पर बच्चा आगे की कक्षाओं में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषयों को समझने में कठिनाई अनुभव करता है। वह कक्षा में उपस्थित तो रहता है, लेकिन धीरे-धीरे पाठ्यक्रम से पिछड़ता जाता है। अंततः यही समस्या विद्यालय छोड़ने अथवा परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन का कारण बन सकती है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्यालयों में कक्षा तीन, छह और नौ के विद्यार्थियों की चरण-विशिष्ट दक्षताओं का मूल्यांकन किया गया। आधिकारिक विश्लेषण के अनुसार कक्षा तीन में गणित में दक्षता वर्ष 2021 के 42 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 65 प्रतिशत तथा भाषा में 39 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हुई। ये परिणाम कोविड-19 के बाद प्रारम्भिक अधिगम में सुधार का संकेत देते हैं। फिर भी राज्यों, जिलों और सामाजिक समूहों के बीच अंतर बना हुआ है। सुधार का श्रेय केवल एक कार्यक्रम को नहीं दिया जा सकता। नई पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण, स्थानीय प्रयासों, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और परिवारों की भागीदारी ने भी भूमिका निभाई है। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब कमजोर जिलों और वंचित समुदायों के बच्चे भी समान स्तर तक पहुँच सकें।

6. पाठ्यचर्या और शिक्षण-पद्धति में बदलाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा को रटने और परीक्षा के लिए तैयार किए गए तथ्यों तक सीमित रखने के बजाय अवधारणात्मक समझ, रचनात्मकता और समस्या-समाधान से जोड़ना है। नीति कला, विज्ञान, खेल, व्यावसायिक शिक्षा और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के बीच कठोर विभाजन समाप्त करने की बात करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 इसी दृष्टिकोण का विस्तार है। इसमें तीन से अठारह वर्ष आयु तक के लिए एकीकृत पाठ्यचर्या संरचना प्रस्तुत की गई है। कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को अन्य विषयों की तरह महत्त्व देने, गतिविधि-आधारित शिक्षण अपनाने तथा पाठ्यक्रम में अनुभव और स्थानीय संदर्भ सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव यह है कि विद्यार्थियों को केवल उत्तर याद करने के बजाय प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, समूह में काम करने और अपने विचार व्यक्त करने के अवसर मिल सकते हैं। परियोजना

©The Research Dialogue | Received: 10 July 2026 | Accepted: 18 July 2026 | Published: 20 July 2026

कार्य, प्रयोगशाला, स्थानीय अध्ययन और कला-आधारित गतिविधियाँ शिक्षा को अधिक रुचिकर बना सकती हैं। इससे अलग-अलग प्रकार की प्रतिभाओं को पहचानने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर, पाठ्यक्रम को कम करने और दक्षता-आधारित शिक्षण की घोषणा करना अपेक्षाकृत आसान है, परंतु उसे व्यवहार में लाना कठिन है। बड़ी कक्षाएँ, सीमित समय, संसाधनों की कमी और बोर्ड परीक्षाओं का दबाव शिक्षकों को पुनः व्याख्यान तथा नोट्स पर निर्भर कर सकता है। जब तक परीक्षा में समझ, अनुप्रयोग और तर्क को महत्त्व नहीं मिलेगा, तब तक कक्षा में रटने की प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

7. मूल्यांकन प्रणाली पर प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने परीक्षा को सीखने का अंतिम उद्देश्य मानने के बजाय सीखने में सुधार का साधन बनाने का प्रस्ताव किया है। इसमें नियमित रचनात्मक मूल्यांकन, दक्षता-आधारित प्रश्नों, बहुआयामी प्रगति-पत्र और बोर्ड परीक्षाओं के दबाव को कम करने पर बल दिया गया है।

परख को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न विद्यालयी बोर्डों में मूल्यांकन मानकों का समन्वय करना और परीक्षा को स्मृति-आधारित प्रश्नों से योग्यता तथा समझ के आकलन की ओर ले जाना है। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में लगभग 23 लाख विद्यार्थियों, 88 हजार विद्यालयों और 782 जिलों को सम्मिलित करने की योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की चरण-विशिष्ट दक्षताओं को समझना और सुधारात्मक उपायों के लिए आधार उपलब्ध कराना था। समग्र प्रगति-पत्र विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ रचनात्मकता, सामाजिक-भावनात्मक विकास, खेल और सामुदायिक भागीदारी को दर्ज करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास है। परंतु इसके लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी का नियमित अवलोकन करना पड़ता है। बड़ी कक्षा में बिना अतिरिक्त समय और सहयोग के यह प्रक्रिया केवल प्रपत्र भरने तक सीमित हो सकती है।

मूल्यांकन सुधार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परीक्षा के प्रश्न वास्तव में बदले हैं या केवल उनकी भाषा बदली गई है। यदि उच्च शिक्षा में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाएँ अब भी अत्यधिक तथ्य-केंद्रित रहेंगी, तो विद्यालयों पर पुरानी परीक्षा-पद्धति का दबाव बना रहेगा।

8. भाषा और भारतीय ज्ञान-परंपरा पर प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति कम-से-कम कक्षा पाँच तक तथा संभव होने पर कक्षा आठ और उसके आगे तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण-माध्यम के रूप में अपनाने की अनुशंसा करती है। इसका आधार यह है कि बच्चा अपनी परिचित भाषा में अवधारणाओं को अधिक सहजता से समझता है। मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रारम्भिक शिक्षा को अधिक सहभागी और संवादपूर्ण बना सकता है। बच्चे प्रश्न पूछने, अनुभव बताने और अपने परिवेश से उदाहरण देने में अधिक सहज होते हैं। इससे पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और ग्रामीण विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल सकता है। नीति बहुभाषिकता को भी प्रोत्साहित करती है और भाषा को केवल संचार का माध्यम न मानकर संस्कृति तथा ज्ञान की वाहक के रूप में देखती है। व्यावहारिक स्तर पर कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। महानगरों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ही कक्षा में भिन्न मातृभाषाओं वाले बच्चे हो सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों, शब्दावली और डिजिटल सामग्री की सभी भारतीय भाषाओं में समान उपलब्धता नहीं है। अंग्रेजी को रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखे जाने के कारण अनेक अभिभावक अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देते हैं।

भारतीय ज्ञान-परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करना सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, किंतु इसे प्रमाण, आलोचनात्मक दृष्टि और आधुनिक शोध के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंपरागत ज्ञान का सम्मान और वैज्ञानिक परीक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। शिक्षा का उद्देश्य किसी विचार को बिना प्रश्न स्वीकार कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण ढंग से उसका मूल्यांकन करना सिखाना होना चाहिए।

9. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

नीति ने सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच बने सामाजिक तथा संस्थागत विभाजन को कम करने का प्रयास किया है। कक्षा छह से विद्यार्थियों को स्थानीय कारीगरी, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प और अन्य कार्यों का व्यावहारिक परिचय देने की परिकल्पना की गई है।

इसका महत्त्व इसलिए है कि भारतीय शिक्षा लंबे समय से शारीरिक और कौशलपरक कार्यों को अकादमिक शिक्षा से निम्न मानने की प्रवृत्ति से प्रभावित रही है। परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी प्रमाणपत्र तो प्राप्त करते हैं, परंतु उनके पास कार्यस्थल पर उपयोगी व्यावहारिक कौशल नहीं होते।

विद्यालय स्तर पर कौशल शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों की वास्तविक समझ दे सकती है। इससे वे श्रम की गरिमा को पहचानते हैं और अपनी रुचि के अनुसार भविष्य के विकल्प चुन सकते हैं। फिर भी केवल कुछ दिनों की इंटर्नशिप अथवा विद्यालय में उपकरण रख देने से व्यावसायिक शिक्षा प्रभावी नहीं होगी। प्रशिक्षित अनुदेशकों, सुरक्षित प्रयोगशालाओं, स्थानीय उद्योगों और कारीगरों के सहयोग तथा नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। ग्रामीण और छोटे नगरों के विद्यालयों में इन संसाधनों की व्यवस्था बड़ी चुनौती है। व्यावसायिक विषय को कमजोर विद्यार्थियों का विकल्प मानने की मानसिकता भी बदलनी होगी।

10. शिक्षक की भूमिका और प्रशिक्षण

नीति शिक्षक को शैक्षिक सुधार का केंद्रीय आधार मानती है। गतिविधि-आधारित और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा में शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक समझाने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वह मार्गदर्शक, मूल्यांकनकर्ता, सामग्री-निर्माता और सीखने के वातावरण का संयोजक बन जाता है। निष्ठा प्रशिक्षण और दीक्षा जैसे डिजिटल मंचों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ्यचर्या, बुनियादी साक्षरता, मूल्यांकन और डिजिटल शिक्षण से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। दीक्षा पर बहुभाषी शिक्षण संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल की उपलब्धता ने प्रशिक्षण को बड़े स्तर तक पहुँचाने में सहायता की है। ऑनलाइन प्रशिक्षण का विस्तार सकारात्मक है, लेकिन वीडियो देखना अथवा प्रश्नोत्तरी पूरी करना शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन की गारंटी नहीं है। प्रशिक्षण को विद्यालय की वास्तविक समस्याओं, विषय-विशिष्ट कठिनाइयों और कक्षा अवलोकन से जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्य, प्रशासनिक प्रपत्र और डिजिटल आँकड़े भरने का अतिरिक्त दबाव भी शिक्षण के लिए उपलब्ध समय को कम कर सकता है। शिक्षक रिक्तियों को भरना, नियमित शैक्षणिक सहयोग देना और नवाचार के लिए व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान करना नीति की सफलता के लिए आवश्यक है।

11. डिजिटल शिक्षा का विस्तार और डिजिटल विभाजन

कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा में तकनीक का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन शिक्षण, आभासी प्रयोगशालाओं और मिश्रित शिक्षा को महत्त्व दिया है। दीक्षा, स्वयं, पीएम ई-विद्या और डिजिटल विश्वविद्यालय जैसी पहलों ने दूरस्थ शिक्षण और स्व-अध्ययन के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। डाइस प्लस 2023–24 पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 24.8 करोड़ विद्यार्थी, 14.72 लाख विद्यालय और 98 लाख शिक्षक थे। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के बीच कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालयों का अनुपात 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 57.2 प्रतिशत तथा इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालयों का अनुपात 22.3 प्रतिशत से बढ़कर 53.9 प्रतिशत हुआ। यह प्रगति महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में विद्यालयों में अभी नियमित डिजिटल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तकनीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। मोबाइल पर उपलब्ध सामग्री तभी उपयोगी है जब विद्यार्थी के पास उपकरण, बिजली, इंटरनेट, भाषा-बोध और उचित मार्गदर्शन हो। एक ही परिवार में एक उपकरण होने पर लड़कियों या छोटे बच्चों की पहुँच सीमित रह सकती है। डिजिटल शिक्षा का प्रभावी मॉडल आमने-सामने शिक्षण और तकनीकी संसाधनों के संतुलित उपयोग पर आधारित होना चाहिए। नीति स्वयं मिश्रित शिक्षण में प्रत्यक्ष मानवीय संवाद के महत्त्व को स्वीकार करती है।

12. उच्च शिक्षा में बहुविषयकता और लचीलापन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा को खंडित और अत्यधिक विषय-केंद्रित व्यवस्था से निकालकर बहुविषयक बनाने का लक्ष्य रखा है। विद्यार्थी विज्ञान के साथ संगीत, अर्थशास्त्र के साथ डेटा विश्लेषण अथवा साहित्य के साथ मनोविज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे शिक्षा को विद्यार्थियों की रुचि और बदलते रोजगार क्षेत्र के अनुरूप बनाया जा सकता है।

स्नातक पाठ्यक्रम में एक वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, दो वर्ष बाद डिप्लोमा और तीन अथवा चार वर्ष के बाद स्नातक उपाधि जैसे विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने और संस्थानों के बीच हस्तांतरित करने की व्यवस्था देता है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क विद्यालय, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य-आधारित अधिगम को एक साझा ढाँचे में जोड़ने का प्रयास करता है। वर्ष 2025 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार 153 विश्वविद्यालयों ने बहु-प्रवेश विकल्प लागू किए थे, जिनसे 31,156 स्नातक और 5,583 स्नातकोत्तर विद्यार्थी जुड़े थे। बहु-निकास व्यवस्था 74 विश्वविद्यालयों में लागू की गई थी। 97 केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों ने भी बहु-प्रवेश और बहु-निकास प्रावधान अपनाए थे। ये आँकड़े बताते हैं कि सुधारों का संस्थागत विस्तार शुरू हुआ है, लेकिन देश के विशाल उच्च शिक्षा क्षेत्र की तुलना में इसकी पहुँच अभी सीमित है। बहु-निकास की व्यवस्था आर्थिक अथवा पारिवारिक कारण से पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी को अर्जित शिक्षा की औपचारिक मान्यता दे सकती है। दूसरी ओर यह जोखिम भी है कि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी पूर्ण उपाधि के बजाय प्रारम्भिक प्रमाणपत्र लेकर बाहर होने के लिए विवश हो जाएँ। इसलिए इस व्यवस्था की सफलता के लिए छात्रवृत्ति, परामर्श और पुनः प्रवेश की सरल प्रक्रिया आवश्यक है।

13. उच्च शिक्षा में पहुँच और समानता पर प्रभाव

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.50 करोड़ तथा 18–23 वर्ष आयु वर्ग का सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 में यह अनुपात 23.7 प्रतिशत था। महिला सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2023–24 में 31.2 प्रतिशत और लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 रहा। इससे उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत मिलता है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन वर्ष 2014–15 के 46.07 लाख से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 69.72 लाख तथा अनुसूचित जनजाति का नामांकन 16.41 लाख से बढ़कर 28.83 लाख हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषयों में कुल नामांकन 1.02 करोड़ था, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत दर्ज की गई। ये परिवर्तन सकारात्मक हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद का परिणाम मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि नामांकन में वृद्धि की प्रक्रिया पहले से जारी थी। नीति ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पहुँचने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मुक्त शिक्षा और डिजिटल कार्यक्रमों में बहुत बड़े विस्तार की आवश्यकता होगी। केवल प्रवेश उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवृत्ति, सुरक्षित परिवहन और दिव्यांग-अनुकूल परिसर की उपलब्धता भी समानता का हिस्सा है। नामांकन बढ़ने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक उपलब्धता बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी।

14. शोध और नवाचार पर प्रभाव

नीति ने उच्च शिक्षा को ज्ञान के उपभोग तक सीमित रखने के बजाय ज्ञान-निर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने पर बल दिया है। भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध प्रायः कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित रहा है। अनेक महाविद्यालयों में प्रयोगशाला, शोध अनुदान, मार्गदर्शन और डेटाबेस की कमी है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की परिकल्पना विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी और सहकर्मी-समीक्षित शोध वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए की गई। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के साथ सामाजिक विज्ञान, कला तथा मानविकी में भी शोध को प्रोत्साहित करना है।

स्नातक स्तर पर चार वर्षीय कार्यक्रम में शोध घटक शामिल होने से विद्यार्थियों को शोध-पद्धति, डेटा विश्लेषण और अकादमिक लेखन का प्रारम्भिक अनुभव मिल सकता है। परंतु शोध को केवल परियोजना रिपोर्ट जमा करने की औपचारिकता नहीं बनना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विश्वसनीय डिजिटल डेटाबेस, नैतिक समीक्षा और प्रशिक्षित पर्यवेक्षक आवश्यक हैं। शोध प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने के दबाव से संदिग्ध

पत्रिकाओं, साहित्यिक चोरी और कृत्रिम आँकड़ों की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए शोध की गुणवत्ता, सामाजिक उपयोगिता और नैतिकता को संख्या से अधिक महत्त्व देना चाहिए।

15. नीति के सकारात्मक प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह है कि उसने शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर संवाद प्रारम्भ किया। प्रारम्भिक बाल शिक्षा, मातृभाषा, कौशल, कला, खेल, बहुविषयकता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय अब शिक्षा की मुख्य चर्चा का हिस्सा बने हैं।

यू-डाइस प्लस 2024–25 के अनुसार आधारभूत, प्रारम्भिक, मध्य और माध्यमिक चरण में छात्र-शिक्षक अनुपात क्रमशः 10, 13, 17 और 21 दर्ज किया गया। इसी अवधि में प्रारम्भिक चरण की विद्यालय-त्याग दर 2.3 प्रतिशत, मध्य चरण की 3.5 प्रतिशत और माध्यमिक चरण की 8.2 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दिखाती है। नई पाठ्यपुस्तकों, दक्षता-आधारित प्रश्नों, बहुविषयक पाठ्यक्रम और क्रेडिट व्यवस्था ने शिक्षा में लचीलेपन की दिशा में ठोस आधार तैयार किया है। उच्च शिक्षा में महिला और वंचित समूहों के नामांकन में वृद्धि समावेशन की सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। फिर भी छात्र-शिक्षक अनुपात का राष्ट्रीय औसत स्थानीय वास्तविकता को पूरी तरह नहीं बताता। एक राज्य या जिले में पर्याप्त शिक्षक हो सकते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र में विषय-विशेषज्ञों की गंभीर कमी हो सकती है। इसी प्रकार नामांकन बढ़ना शिक्षा की गुणवत्ता या रोजगारयोग्यता में समान वृद्धि का प्रमाण नहीं है। अतः उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए भी सीखने के परिणाम, क्षेत्रीय अंतर और शिक्षा के बाद मिलने वाले अवसरों का निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है।

16. क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण व्यापक है, लेकिन उसका क्रियान्वयन भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र, राज्यों, नियामक संस्थाओं, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के समन्वय पर निर्भर करता है। सभी राज्यों की वित्तीय क्षमता, भाषा, प्रशासनिक तैयारी और शिक्षक उपलब्धता समान नहीं है। इसलिए नीति का प्रभाव भी क्षेत्रों के अनुसार भिन्न दिखाई देता है। पहली चुनौती पर्याप्त वित्तीय निवेश की है। नीति सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत तक ले जाने की पूर्व अनुशंसा को दोहराती है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रयोगशालाएँ, डिजिटल उपकरण, शिक्षक नियुक्ति, छात्रावास और बहुविषयक संस्थान विकसित करने के लिए निरंतर संसाधन आवश्यक हैं। दूसरी चुनौती शिक्षक क्षमता की है। नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शिक्षक उसके दर्शन, विषय-वस्तु और मूल्यांकन पद्धति को समझें। अल्पकालिक ऑनलाइन मॉड्यूल पर्याप्त नहीं हैं। शिक्षक को नियमित शैक्षणिक सहयोग और अभ्यास के अवसर मिलने चाहिए। तीसरी चुनौती डिजिटल असमानता है। ऑनलाइन सामग्री का विस्तार हुआ है, किंतु उपकरण, इंटरनेट और विद्युत आपूर्ति में असमानता बनी हुई है। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता संसाधनहीन विद्यार्थियों को और पीछे कर सकती है। चौथी चुनौती भाषा की है। मातृभाषा में शिक्षा का सिद्धांत उपयोगी है, किंतु बहुभाषी कक्षाओं, उच्च शिक्षा की शब्दावली और अभिभावकों की अंग्रेजी संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लचीली रणनीति बनानी होगी। पाँचवीं चुनौती पाठ्यक्रम और परीक्षा के बीच अंतर है। विद्यालय में रचनात्मकता की शिक्षा देने के बाद यदि प्रवेश परीक्षा तथ्य याद करने और अत्यधिक प्रतियोगिता पर आधारित रहेगी, तो विद्यार्थी तथा शिक्षक पुनः कोचिंग और रटने की ओर लौटेंगे। छठी चुनौती उच्च शिक्षा की संस्थागत क्षमता है। बहुविषयक शिक्षा के लिए अलग-अलग विषयों के शिक्षक और पर्याप्त पाठ्यक्रम आवश्यक हैं। छोटे महाविद्यालय सीमित संकाय के कारण वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाते। केवल पाठ्यक्रम का नाम बदल देने से बहुविषयकता स्थापित नहीं होती। सातवीं चुनौती शैक्षणिक और प्रशासनिक केंद्रीकरण की है। राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता है, लेकिन स्थानीय संदर्भ के लिए विद्यालयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों को उचित स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए। अत्यधिक प्रपत्र, पोर्टल और रिपोर्टिंग शिक्षा से ध्यान हटाकर प्रशासनिक अनुपालन बढ़ा सकते हैं।

17. प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव

सबसे पहले शिक्षा नीति को चरणबद्ध और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। राज्य और जिला स्तर पर विद्यालयों की वास्तविक स्थिति, शिक्षक उपलब्धता, भाषा और डिजिटल सुविधाओं का आकलन करके कार्ययोजना तैयार की जाए।

आँगनबाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालयों के बीच शैक्षणिक और प्रशासनिक समन्वय स्थापित किया जाए। आधारभूत चरण के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, खेल-सामग्री, सुरक्षित भवन और बाल-अनुकूल कक्षाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों का मूल्यांकन केवल परीक्षा से न हो। शिक्षक द्वारा नियमित अवलोकन, पढ़ने का व्यक्तिगत अभ्यास, पुस्तकालय और परिवार की भागीदारी को बढ़ाया जाए। कमजोर बच्चों को कक्षा दोहराने के बजाय अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग दिया जाए।

शिक्षक-प्रशिक्षण को ऑनलाइन प्रमाणपत्र से आगे बढ़ाकर विद्यालय-आधारित बनाया जाए। प्रशिक्षक कक्षा का अवलोकन करें, शिक्षक को प्रतिक्रिया दें और विषय-विशेष की समस्याओं का समाधान करें। शिक्षकों को अनावश्यक गैर-शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किया जाए।

डिजिटल सामग्री को भारतीय भाषाओं, सांकेतिक भाषा और दिव्यांग-अनुकूल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए। डिजिटल शिक्षा को प्रत्यक्ष कक्षा का विकल्प न बनाकर पूरक साधन के रूप में उपयोग किया जाए। विद्यालयों में उपकरण उपलब्ध कराने के साथ उनके रखरखाव और तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी हो। बहुविषयक उच्च शिक्षा लागू करने से पहले महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, प्रयोगशालाएँ और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। विद्यार्थियों को विषय चुनने, क्रेडिट हस्तांतरण और बहु-निकास के परिणामों की स्पष्ट जानकारी दी जाए।

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रारम्भिक प्रमाणपत्र लेकर शिक्षा छोड़ने से रोकने के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और शुल्क सहायता दी जाए। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जाए। व्यावसायिक शिक्षा को स्थानीय अर्थव्यवस्था और वास्तविक रोजगार से जोड़ा जाए। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की उद्योग, कृषि संस्थानों, अस्पतालों और स्थानीय कारीगरों के साथ साझेदारी विकसित की जाए। इंटर्नशिप केवल प्रमाणपत्र के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव प्रदान करने वाली हो। नीति की प्रगति का मूल्यांकन पोर्टल पंजीकरण, प्रशिक्षण संख्या अथवा वितरित उपकरणों के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह देखा जाए कि विद्यार्थियों की पढ़ने, लिखने, गणना, तर्क, संवाद और समस्या-समाधान की क्षमता में कितना सुधार हुआ है। अंततः शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय को क्रियान्वयन की प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी दी जानी चाहिए। शिक्षा-सुधार ऊपर से जारी आदेश के बजाय विद्यालय और समाज के साझा प्रयास के रूप में आगे बढ़ेगा तो उसके परिणाम अधिक स्थायी होंगे।

18. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा को नई दिशा देने वाला व्यापक वैचारिक ढाँचा प्रस्तुत किया है। आधारभूत साक्षरता, बाल्यावस्था शिक्षा, गतिविधि-आधारित शिक्षण, मातृभाषा, कौशल, बहुविषयकता, डिजिटल शिक्षा और शोध पर दिया गया बल समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप है। नीति के बाद विद्यालयी संरचना, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन और उच्च शिक्षा के क्रेडिट ढाँचे में अनेक परिवर्तन आरम्भ हुए हैं। उच्च शिक्षा में नामांकन और महिला भागीदारी बढ़ी है। छात्र-शिक्षक अनुपात तथा विद्यालय-त्याग के कुछ संकेतकों में सुधार दिखाई देता है। परख, निपुण भारत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी पहलों ने संस्थागत परिवर्तन का आधार तैयार किया है।

फिर भी नीति और व्यवहार के बीच पर्याप्त दूरी बनी हुई है। सभी विद्यालयों में गतिविधि-आधारित शिक्षण, सभी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री, सभी महाविद्यालयों में बहुविषयक विकल्प और प्रत्येक विद्यार्थी को डिजिटल सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। शिक्षक रिक्तियाँ, संसाधनों की असमानता और परीक्षा का दबाव नीति के उद्देश्यों को सीमित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में इस बात से निर्धारित होगा कि क्या शिक्षा बच्चों को केवल प्रमाणपत्र देती है या उन्हें समझदार, संवेदनशील, कुशल और उत्तरदायी नागरिक बनाती है। यदि नीति को पर्याप्त

संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, स्थानीय अनुकूलन और निरंतर मूल्यांकन के साथ लागू किया गया, तो यह भारतीय शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण, आधुनिक और मानवीय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2021)। *निपुण भारत: बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन*। नई दिल्ली: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2025)। *यू-डाइस प्लस रिपोर्ट 2024–25*। नई दिल्ली: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2026)। *अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022–23 एवं 2023–24*। नई दिल्ली: उच्च शिक्षा विभाग।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2022)। *आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा*। नई दिल्ली: एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2023)। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023*। नई दिल्ली: एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2025)। *परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024: राष्ट्रीय रिपोर्ट*। नई दिल्ली: परख, एनसीईआरटी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2022)। *स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क*। नई दिल्ली: यूजीसी

Cite this Article:

डॉ यादव, मनोज कुमार. (2026). NEP 2020 का शिक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भावी संभावनाएँ. The Research Dialogue, 5(2), 431–439, Volume-05, Issue-02, July-2026. DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.46

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. मनोज कुमार यादव

NEP 2020 का शिक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भावी संभावनाएँ

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-02, Month July, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73/ 6.79)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.46